

कार्यालय प्राम पंचायत-  
निकारा स्थण्ड साराह  
जनपद-  
११३

मंजुरी  
गाजीपुर

दिनांक 7/6/23

**निषेधः—** जल जीवन प्रश्न (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

• 400 •

अवगत कराना है कि दिनांक 7/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियारा करने वाले प्रत्यक्ष परिवारों को शुद्ध पैयजल की उपलब्धता है खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लखपाता पाठ्यग्रन्थि/जूँहाईखड़ाल के प्रधानाधार्य, भव्यापक, शिक्षापित्र, ऑगनवार्डी कार्यकर्ता/मानिका, कोटदार, ४०५३०५० स्वयं आशा द्वारा प्रतिमार्ग किया गया।

उगत देशक में ग्राम पंचायत सर्विव हारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइय पथजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों हारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिनाम के पुछिया हारा की गई सहमति पत्र सम्बन्ध है।

जल संवर्धन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार याम पंचायत पाइप पर्याजल यात्रना के किंगडम तथा संयुक्त एवं अन्यरक्षण हत् सम्मत है।

अतः अनुरोध है कि कृपण यथाशीघ्र ग्राम पचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कारबोराही कराने का काट वारं।

रांगनाकः परियाशं द्वारा कस्ताक्षयित रुद्रमवि पत्र।

भवद्वाय

M.P. Singh  
(Director)  
Sharma Foundation  
Vijayapura

प्रधानं प्रधानं प्रधानं प्रधानं  
ग्राम-प्रधान-प्रधान-प्रधान-प्रधान-

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो याम समुदाय की 'जीवन सुगमता' के बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. वे प्रस्तुत किए जाने से पहले याम समाज में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तयारी की तारीख: 7/1/23

ग्राम समाज में अनुमोदन की तारीख: 28/7/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: भृगु

ग्राम पंचायत का नाम: भृगु

बसाँक का नाम: आदान

ज़िला का नाम: गाजीपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मधेशी कुँडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घन्टे नियंत्रित गुणवत्ता • बाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्खा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदसे जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मौठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का \_\_\_\_ %, प्रधालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नियन्त्रण करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैप ७२५ ईन सप्टेंबर २०२३

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: रामचंद्र

लिंग: पुरुष

आयु:



संकल्प

M.P. Singh  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi (U.P.)

## III. सामाजिक विवरण

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| 6. वर्तमान वर्ष में जनसंख्या: | वर्तमान जनसंख्या का अनुमान<br>जनसंख्या 2011 के अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान | वर्तमान जनसंख्या का अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान<br>प्रत्यायोगिक अनुमान |
|-------------------------------|--|---|

## 7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घण्टा - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घण्टा  
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

## 8. वर्तमान मध्यवर्ती संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

## 9. कृषि पासल पैटर्न: \_\_\_\_\_

| प्रमाणित पासल | निपटना | प्रत्यायोगिक |
|---------------|--------|--------------|
| प्रमाणित पासल | निपटना | प्रत्यायोगिक |

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 160 6 180 611. स्थानांकति (समतल, दृश्यान, आदि): समतल

## IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ  
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं) हाँ  
(‘याम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

| 1. | प्रत्यायोगिक व्यापार का वर्णन |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2. | आगंतवारी                      |                               |                               |                               |
| 3. | समास्थ्य वर्तन                |                               |                               |                               |
| 4. | ग्राम पश्चायत वर्तन           |                               |                               |                               |
| 5. | प्रत्यायोगिक व्यापार          |                               |                               |                               |



### बाजी की कल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 145. 11 के.एल.डी.  
 मध्येतिथों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 75. 11 के.एल.डी.  
 मवेशी कुदों की आवश्यक संख्या: 3  
 नप्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 118. 11 के.एल.डी.  
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 92. 5 के.एल.डी.

## पानी की आपरिं का इतिवृत्त

- पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त सूचा/अकाल/ध्रुवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटने, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: **४६**
  - आपातकालीन ल्यावस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकिये, रेत गहियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। **५८**
  - पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
  - जल जनित रोगों का इतिवृत्त: **वर्दीभा, ४८, २१२०१२, निमांगि ७५१८**  
पानी की गुणवत्ता
  - फिल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समृद्धि के साथ जल गुणवत्ता की वैकसी के लिए अग्रिमिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
  - सेनिट्री निरीक्षण के लिए अग्रिमिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
  - जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (शोतो) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

| प्राप्ति             | संकेत                |
|----------------------|----------------------|
| प्राप्ति नहीं        | प्राप्ति नहीं चुकना  |
| स्वामी कीरीयता       | स्वामी सामाजिक विवाद |
| स्वामी अप्राप्ति     | स्वामी गोप्यता विवाद |
| अन्योन्यवाद          | अन्य रण चुकना        |
| नापद्धति             | इच्छा रण चुकना       |
| प्राप्ति             | प्राप्ति रण चुकना    |
| आहारिक (हाटरपाट में) | इच्छा रण चुकना       |

कपड़े धौने / रुकान करने का स्थान

23. यह समावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिधारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने स्थान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:



सौत स्पायिल्स

24. मन्जुल सौत के मामले में, क्या बोरवेल रिधार्ज संरचना है? (हॉ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भड़ारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदुले जल बन प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): ५२०१ के ए.ल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड्ढो वाले परिवारों की संख्या: २०

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सौभता गड्ढों की आवश्यकता है: 25

आवश्यक सामुदायिक सौख्या गड्ढी की संख्या : 2

वया अपशिष्ट तबछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ / नहीं): हाँ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस क्र०पी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे डे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - नियंत्रित ऊणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/ट्रिप्रिंग बाटर/ स्थानीय या पराहती जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - बाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - पिंडो ग्रैंड कर्जा आवश्यक पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्ता/आदिवासी बस्तियों में स्थित है

28. अभिनिर्धारत जल स्रोत: नदी तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: एटे ७९१४ अमृता

इस योजना के लिए अमिनीर्धारित भूमि: गुरुग्राम-कुल  
तट नवीन बिस पर सब भूमि पाए गए हैं। आगे इन्हें एस. विभाग को सौंप दी जाएगी। 2026।

योजना की लागत: ७०६०८५ भारत सरकार का हिस्सा: ✓ राज्य का हिस्सा: ✗

समुदाय का हिस्सा: १८७ व्यक्तिगत सरेल्यु अंशदान:

वार्षिक प्रधानमन्त्री व रक्षा-संस्थाव शुल्क, व्यवस्थितात् घरेलू मासिक जल शुल्क।

प्रयोक्ता नामः \_\_\_\_\_ काहे दूरसंचय वसावट हा ला. आमानवाच

- VI - शेल-जौत

(निम्नलिखित तालिका में उन समर्पित योजनाओं का उल्लेख दिया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निपुण मेल-जोल संबंध है। आगे समदाय द्वारा ग्रान की आवश्यकताओं के अनसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव में जै जाने हैं।)

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 29. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कल्पना विद्या<br>संस्कार का विषय | कृष्णजन्माष्टमी<br>संस्कार का विषय                  | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्याय<br>गान्धी जी का उपनिषद् विषय                 | प्रस्तावित<br>विषय  |
| उपर्युक्त विषय<br>प्रस्तावित करना।<br>एसोलाइसेंट्स        | उपर्युक्त विषय संस्कार का विषय<br>हस्त शारिर संवालय | उपर्युक्त विषय संस्कार का विषय<br>हस्त शारिर संवालय<br>जीवन शारिर संवालय | उपर्युक्त विषय संस्कार का विषय<br>हस्त शारिर संवालय<br>जीवन शारिर संवालय<br>जीवन शारिर संवालय |



| योजना का नाम   | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग<br>में संसाधन विभाग    | संभावित नियिकाएँ और शुरू की जा सकती हैं<br>वाटरशेड प्रबंधन/ आरडब्ल्यूएच/ कृषि पुनर्जीवन, जल नियन्त्रण का निर्माण/ वृद्धि आदि। | प्रस्तावित विधि |
|--|---|---|-----------------|
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आरडब्ल्यूएच.पी.)                     | मूल संसाधन विभाग                                    | वाटरशेड प्रबंधन/ आरडब्ल्यूएच/ कृषि पुनर्जीवन, जल नियन्त्रण का निर्माण/ वृद्धि आदि।  |                 |
| जल अंडारी की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोदय                              | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग          | वाटरशेड से संबंधित कार्य  |                 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के बी बड़े)                             | कृषि, सहकारिता और विकास काल्याण                     | वाटरशेड से संबंधित कार्य  |                 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.बड़े)                       | कृषि, सहकारिता और विकास काल्याण मंत्रालय            | जल की अधिक उपलब्धता वाली विशेषज्ञ फलालों के लिए सूखमन्सिचाई वा प्राप्तियान, एकीफस्टे से जल की नियन्त्रणी को कम करने के लिए    |                 |
| क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण                     | वन्यजीवन, वन और जलवायु पोर्टफोली भवालय              | वनीकरण, वन परिस्थितिकी तरफ का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।  |                 |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.बड़े)                       | कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय                    | आरडब्ल्यूएच, योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि   |                 |
| समय शिक्षण   | मानव संसाधन विकास मंत्रालय                          | स्कूली और पेयजल आपूर्ति का प्राप्तधन  |                 |
| आवासीय जिला कार्यक्रम  | नीति आयोग   | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियिकों के तहत जल संरक्षण नियिकाएँ   |                 |
| जिला स्थनिक विकास नियिका (टी.एम.ए.टी.)                                 | राज्य   | वडे पैमाने पर जल संरक्षण नियिकाएँ   |                 |
| एम.पी.एल.ए.टी.   | साइटिकी और कार्यक्रम कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीएल) | अंतर्राष्ट्रीय अवसरण  |                 |
| एम.एस.ए.एल.ए.टी.   | राज्य   | अंतर्राष्ट्रीय अवसरण  |                 |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय भासलों का मंत्रालय और राज्य                 | अंतर्राष्ट्रीय अवसरण  |                 |
| दलदाता/प्रायोजक  |   |   |                 |

आधिका का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पी.एच.डी.टी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि उम्मीद है): \_\_\_\_\_

#### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का आधिका पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकलीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. अमीत ५१६७ = ९४८३४४४२६३
2. रमेश = ९९४५२४५०५३
3. पूरा = ७०५२४२२३४७
4. रमेश = ९४० २५०० ७१
5. रमेश २५१ = ९५६५२२६७१।

पप ऑफरेटर का नाम और फोन नंबर:

